



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन , 1943 (श०)

संख्या-499 राँची, गुरुवार,

30 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2021

संख्या-4/नियुक्ति-01-02/2021का.4948--पंचम सीमित उप समाहर्ता (बैकलॉग) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थी को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में मूल कोटि के वेतनमान (रू० 9300-34,800/- ग्रेड पे - 5400 रू०, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल-9) में परीक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ- V में अंकित जिला में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योगदान की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	पदस्थापन का जिला
I	II	III	IV	V
1.	10201838	श्री राजेन्द्र कुमार दास	हजारीबाग	रामगढ़

(क) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवनियुक्त परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ताओं का प्रशिक्षण विभागीय पत्रांक 2/स्था०नि०-01/08 का० 4191 दिनांक 08.07.2008 द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि एवं कार्यक्रम के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा ।

(ख) अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है ।

(ग) अभ्यर्थी को पदस्थापन हेतु अधिसूचित जिला में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान देना है। उपर्युक्त निर्धारित योगदान तिथि तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

(घ) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है ।

(ङ) अभ्यर्थी योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 1919 दिनांक 28.01.76 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र (प्रति संलग्न) एवं अधिसूचना संख्या 5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। उप समाहर्त्ता के पद पर योगदान के उपरांत HRMS में प्रविष्टि के बाद संबंधित पदाधिकारियों को ऑनलाईन सम्पत्ति विवरणी समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

(च) योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति अनिवार्य रूप से पदस्थापित स्थान पर समर्पित करना होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
